भारत सरकार

आयुष मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 4634

28 मार्च, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

गुजरात में आयुष स्वास्थ्य केंद्र

4634. श्री राजेशभाई नारणभाई चुड़ासमा:

क्या आयुष मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विगत पांच वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान गुजरात सहित देश में आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत आयुष स्वास्थ्य और आरोग्य केन्द्र शुरू करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार / संघ राज्यक्षेत्रवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने गुजरात सहित देश के ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में पर्याप्त आयुष उपचार सुविधाएं प्रदान करने के लिए कोई कदम उठाए हैं/उपाय किए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

<u>उत्तर</u>

आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) और (ख): आयुष्मान भारत के तहत, गुजरात सहित देश भर में राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) की केंद्रीय प्रायोजित योजना के माध्यम से वर्ष 2019-20 से 2023-24 तक 5 साल की अवधि के लिए कार्यान्वयन हेतु 12,500 आयुष स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों (एएचडब्ल्यूसी) [अब आयुष्मान आरोग्य मंदिर (आयुष) नाम दिया गया है] के संचालन को अनुमोदित किया गया था। वर्ष 2019-20 से 2023-24 तक स्वीकृत आयुष्मान आरोग्य मंदिर (आयुष) की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार स्थिति **संलग्नक** पर दी गई है।

(ग) और (घ): जन स्वास्थ्य राज्य का विषय होने के कारण, गुजरात सहित देश के ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में आयुष उपचार सुविधाएं प्रदान करने की प्राथमिक जिम्मेदारी संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार की है। हालांकि, एनएएम के तहत, आयुष मंत्रालय गुजरात सहित देश के ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में पर्याप्त आयुष उपचार सुविधाएं प्रदान करने के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के प्रयासों का समर्थन करता है, जिसके लिए उन्हें विभिन्न गतिविधियों जैसे आयुष्मान आरोग्य मंदिर (आयुष) का संचालन, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी) और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (सीएचसी) में आयुष सुविधाओं का सह-स्थापन, मौजूदा सरकारी/पंचायत/सरकारी सहायता प्राप्त आयुष औषधालयों का उन्नयन, सरकारी आयुष औषधालयों को आवश्यक दवाओं की आपूर्ति और एनएएम दिशानिर्देशों के प्रावधान के अनुसार आयुष जन स्वास्थ्य कार्यक्रमों का कार्यान्वयन के तहत वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

*****

संलग्नक

वर्ष 2019-20 से 2023-24 तक अनुमोदित आयुष्मान आरोग्य मंदिर (आयुष) की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार स्थिति

क्र.सं.	**राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का नाम**	**अनुमोदित इकाइयों की संख्या**
1	अंदमान और निकोबार द्वीप	6
2	आंध्र प्रदेश	126
3	अरुणाचल प्रदेश	89
4	असम	500
5	बिहार	294
6	चंडीगढ़	12
7	छत्तीसगढ़	400
8	दिल्ली	0
9	दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव	1
10	गोवा	100
11	**गुजरात**	**365**
12	हरियाणा	538
13	हिमाचल प्रदेश	761
14	जम्मू-कश्मीर	523
15	झारखंड	745
16	कर्नाटक	376
17	केरल	700
18	लद्दाख	0
19	लक्षद्वीप	7
20	मध्य प्रदेश	800
21	महाराष्ट्र	390
22	मणिपुर	15
24	मेघालय	24
24	मिजोरम	41
25	नागालैंड	49
26	ओडिशा	422
27	पुडुचेरी	4
28	पंजाब	158
29	राजस्थान	2019
30	सिक्किम	18
31	तमिलनाडु	650
32	तेलंगाना	421
33	त्रिपुरा	72
34	उत्तर प्रदेश	1034
35	उत्तराखंड	300
36	पश्चिमी बंगाल	540
कुल		**12500**